

आदेश

निदेशालय के आदेश क्रमांक ई-33/नियुक्ति/लै.टे./2013/440 दिनांक 26.06.13 के द्वारा राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 के अंतर्गत श्री पंकज मीणा की नियुक्ति लैब टैक्नीशियनों के पद पर की गई थी। श्री मीणा लैब टैक्नीशियन, जिन्होंने दो वर्ष की परीक्षा अवधि (Probation Period) संतोषजनक रूप से पूर्ण कर ली है, को राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 के तहत एतद् द्वारा स्थाईकरण किया जाता है। इन्हे परीक्षा अवधि पूर्ण करने के पश्चात् निम्नानुसार पद के पै बैण्ड 5200-20200 ग्रेड पै 2800 का न्यूनतम वेतन एवं अन्य भत्ते देय होंगे :-

| जन्म तिथि | कार्य ग्रहण तिथि | प्रोबेशन पूर्ण करने की तिथि | स्थाईकरण दिनांक |
|------------|------------------|-----------------------------|-----------------|
| 06.02.1986 | 03.07.2013 | 02.07.2015 | 03.07.2015 |

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज0 जयपुर

दिनांक : 1.1.18

क्रमांक :- ई-33/लै.टे./1398/2017/ 3

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा।
2. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, प्रा0स्वा0केन्द्र, बुढादीप (कोटा)।
3. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करे।
4. संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
5. आदेश/रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज. जयपुर